FIROZABAD POLICE

सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा

सराहनीय कार्य थाना टूण्डला दिनांक 31.03.24 जनपद फिरोजाबाद ।

❖ थाना टूण्डला एवं एसओजी / सर्विलांस टीम द्वारा 01 अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर को किया गया गिरफ्तार ।

❖ कब्जे से 1000 पेटी (कुल 9000 ली0) अवैध अंग्रेजी शराब व 200 पेटी (कुल 2400 ली0) बीयर (अनुमानित कीमत 1.25 करोड़ रुपये) बरामद ।

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद द्वारा जनपद में अवैध रुप से शराब की तस्करी करने वाले / बेचने वाले अपराधियों पर सतर्क दृष्टि रखते हुये उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश निर्गत किये गये थे।

जिसके क्रम में थाना टूण्डला एवं एसओजी / सर्विलांस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये दिनांक 30.03.24 को अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी टूण्डला के कुशल नेतृत्व में उसायनी पुल के पास लेजर फार्म हाउस के सामने एक ट्रक JK 21 D 1320 को चैक किया गया तो उसमें 1000 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब (कुल 9000 लीटर) एवं 200 पेटी बीयर (कुल 2400 लीटर) गैर प्रान्त मय 14 चक्का वाहन कूट रचित दस्तावेज बरामदगी सहित अभियुक्त गुरचरण सिंह उर्फ चन्नी पुत्र करमचन्द को गिरफ्तार किया गया है। बरामद शराब की अन्तर्राज्यीय बाजार में कीमत 1.25 करोड़ रुपये से ऊपर है । अभियुक्त के विरुद्ध थाना टूण्डला पर मु0अ0सं0 239/24 धारा 419/420/467/468/471 भादवि व 60/63/72 आबकारी एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मा0 न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त गुरचरण सिंह उर्फ चन्नी ने बताया कि मुझे गाड़ी को अम्बाला (पंजाब) से बिहार बॉर्डर तक लेकर जाना था। काम पूरा होने के बाद मुझे 01 लाख रुपये मिलने थे। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि गाड़ी देने वाले ने फर्जी कूट रचित बिल तैयार करके दिए थे जिस पर फूड ऑयल(खाने का तेल) एवं मशीनर के पार्ट्स लिखे गये ताकि मैं शराब के साथ ना पकड़ा जाऊ। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरी व्हाट्स एप कॉल से बात होती थी । आगामी लोकसभा चुनाव व बिहार राज्य में शराब बन्दी होने के कारण शराब की बहुत ज्यादा माँग है। साथ ही अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह पूर्व में राजस्थान में शराब तस्करी के मामले में उदयपुर एवं डूगरपुर से जेल जा चुका है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय व स्थान ----दिनांक 30.03.2024 समय 23.45 बजे , उसायनी पुल से फिरोजाबाद की ओर जाने वाले छोर पर लेजर फॉर्म हाउस के सामने थाना टूण्डला फिरोजाबाद।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तः-

1. गुरचरण सिंह उर्फ चन्नी पुत्र करमचन्द निवासी सुचेतगढ़ थाना अरसपुरा तहसील अरसपुरा जिला जम्मू।

बरामद शराब की अनुमानित कीमत:-

- 1000 पेटी अंगेजी शराब पंजाब व चण्डीगढ़ मार्का भिन्न भिन्न ब्राण्ड (9000 लीटर)।
- 200 पेटी बीयर ट्यूबर्ग मार्का (2400 लीटर)।

अनुमानित कीमत करीब 1.25 करोड रुपये।

बरामदगी का विवरण:-

1. अवैध शराब ROYAL STAG 156 पेटी (कुल बोतल 1872 नग)।
2. अवैध शराब MC DOWELLS 140 पेटी (कुल बोतल 1660 नग)।
3. अवैध शराब ROYAL CHALLENGE 85 पेटी (कुल बोतल 1020 नग)।
4. अवैध शराब ROYAL CHALLENGE 144 पेटी (कुल हाफ 3456 नग)।
5. अवैध शराब MC DOWELLS 145 पेटी (कुल हाफ 3480 नग)।
6. अवैध शराब MC DOWELLS 148 पेटी (कुल पौआ 7104 नग)।
7. अवैध शराब ROYAL STAG 195 पेटी (कुल पौआ 9360 नग)।
8. अवैध बीयर TUBORG 200 पेटी (कुल 4800 नग)।
9. कूट रचित दस्तावेज (GST बिल TAX INVOICE)।
10. एक अदद ट्रक।
11. 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस एवं एसओजी/सर्विलांस टीम:-

थाना टूण्डला टीम-

1. प्र0नि0 श्री अनुज कुमार थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
2. निरीक्षक अपराध कृष्ण स्वरुप पाल थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
3. उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह एसओजी प्रभारी जनपद फिरोजाबाद।
4. उ0नि0 विमलेश कुमार त्रिपाठी सर्विलास सेल जनपद फिरोजाबाद।
5. उ0नि0 सुधीर कुमार थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
6. उ0नि0 विवेक सिंह थाना टूण्डला फिरोजाबाद।
7. उ0नि0 जय सिंह थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
8. है0का0 654 माधव सिंह थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
9. है0का0 901 मोहम्मद आरिफ थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।
10. का0 34 हरिशचन्द्र थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद।

एसओजी/सर्विलांस टीम-

11. हे0का0 प्रशान्त चौहान, 12. हेका0 837 अमित चौहान, 13. हे0का0 186 करनवीर सिंह, 14. हे0का0 1059 देवेन्द्र कुमार, 15. हे0का0 326 अनिल कुमार, 16. हे0का0 950 लखन, 17 .का0 118 रघुराज सिंह, 18. का0 369 संतोष कुमार, 19. का0 723 कृष्ण कुमार, 20. का0 1176 लोकेश गौतम, 21. हे0का0 380 हरवीर कुन्तल, 22. हे0का0 736 सुशील कुमार, 23. हे0का0 953 ललित शर्मा, 24. हे0का0 887 उग्रसेन, 25. का0 920 संदीप कुमार, 26. हे0का0 प्रेम कुमार, 27. हे0का0 रमाकांत, 28. हे0का0 439 जयनारायण।